

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./08/डी- 455

दिनांक:- 26-3-08

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 45 वी बैठक दिनांक: 24.3.08 को मध्याह्न

पश्चात 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले

जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात

निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं	जोन	प्रस्ताव सं०	विषय	निर्णय
1.		45:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 44 वी बैठक दिनांक: 13.02.08 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 44 वी बैठक दिनांक: 13.02.08 के कार्यवाही विवरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) के यू.ओ.नोट के क्रम में चर्चा की गई। प्रस्ताव संख्या 44:11(6) के संबंध में प्रस्तावित संशोधन“(1) आवंटी कंपनी से बदले में उतनी ही अविकसित भूमि ली जावें। (2) आवंटित भूमि के बदले में 60 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त की जावें। दोनो ही विकल्पों में भूमि का चयन जविप्रा द्वारा किया जावेगा।” के साथ कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रति. आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2.	9	45:2	<p>भूखण्ड संख्या-बी 331, क्षेत्रफल 128 व.मी. महल योजना के बदले में भूखण्ड संख्या-डी 82ए क्षेत्रफल 128 व.मी. महल योजना का आवंटन बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री सत्यनारायण जोशी को प्राधिकरण की महल आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-331 क्षेत्रफल 128 वर्गमीटर का जरिये लॉटरी से आवंटन हुआ था, जिसका आवंटन पत्र दिनांक 12.2.98 को जारी हुआ था। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण भूमि निस्तारण नियम, 1974 के अन्तर्गत भूखण्ड के आवंटन को निरस्त कर जमा करवाई गई राशि 10,000/- जप्त करने के आदेश दिनांक 6.4.99 को जारी हुये। श्री सत्यनारायण जोशी द्वारा न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण द्वितीय में परिवाद संख्या 315/02 प्रस्तुत की जिसमें मंच द्वारा दिनांक 24.12.04 को परिवादी के पक्ष में यह निर्णय दिया कि-महल योजना में प्लॉट नम्बर बी-376 क्षेत्रफल 128 वर्गमीटर का आवंटन पत्र दिनांक 12.2.98 के अनुसार निर्धारित दर पर नया आवंटन पत्र जारी करें तथा उक्त भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किये जाने की सूरत में महल योजना में उक्त क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड पूर्व दर पर ही परिवादी को 1 माह में आवंटित करें। परिवाद में निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता मंच में अपील 253/05 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय आयोग द्वारा प्राधिकरण की अपील को निरस्त कर जिला मंच के आदेश को यथावत् रखा। इसके पश्चात् माननीय न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण द्वितीय अवमानना प्रकरण 2/08 श्री सत्यनारायण जोशी बनाम श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर प्राप्त हुआ। जिसमें निदेशक (विधि) द्वारा राष्ट्रीय आयोग में अपील में किसी प्रकार का</p>
----	---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

श्री. आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			<p>वनज नहीं होने की स्थिति में खारिज होने की अधिक संभावनाओं को देखते हुए जिला मंच एवं राज्य आयोग के निर्णय की तत्काल पालना किये जाने का निर्णय लिया जो जयपुर विकास आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। भूखण्ड संख्या बी-331 का आवंटन जरिये नीलामी द्वारा अन्य को आवंटन किया जा चुका है। जिला मंच के आदेश की पालना में भूखण्ड संख्या डी-82ए क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही निर्धारित शर्तों पर की जावे।</p>
3.	8	45:3	<p>जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में भू.सं. 152 का आवंटन क्षेत्रफल 40.5 व.मी. है। उक्त भूखण्ड कॉर्नर होने के कारण कुल क्षेत्रफल 56.70 व.मी. हो गया है अर्थात् आवंटन क्षेत्रफल से 16.20 व.मी. क्षेत्रफल अधिक हो गया है। उक्त भूमि/स्ट्रीप ऑफ लैंड का आवंटन प्रार्थी को राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड) रूल्स, 1974 के नियम 23(1) के अन्तर्गत करने बाबत।</p> <p>उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी श्री बोदूराम बैरवा पुत्र बालूराम को ओटीएस कच्ची बस्ती से हटाया जाकर पुर्नवासित किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में भूखण्ड संख्या 152 क्षेत्रफल 40.5व.मी. का आवंटन किया गया है। उक्त भूखण्ड कॉर्नर होने के कारण कुल क्षेत्रफल 56.70व.मीटर अर्थात् आवंटन क्षेत्रफल से 16.20व.मी. क्षेत्रफल अधिक हो गया है। उक्त भूमि/स्ट्रीप ऑफ लैंड का आवंटन प्रार्थी को राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड) रूल्स, 1974 के नियम 21(I) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p>

समिति. जयपुर (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	4	45:4	<p>जवाहर सर्किल से न्यू टर्मिनल गेट एयरपोर्ट को जाने वाली 200फीट रोड से प्रभावित भूखण्ड के बदले में अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।</p>	<p>उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि न्यू पिक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की सिद्धार्थ नगर "ए" योजना में प्रार्थनी के दो भूखण्ड 413 एवं 414 प्रत्येक का क्षेत्रफल 200 व0ग0 मुताबिक रेकार्ड एवं कब्जा स्थित है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार 110 व0ग0 का क्षेत्र जवाहर सर्किल से इन्टरनेशनल एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल गेट को जाने वाली 200 फीट रोड में आ गया है तथा भूखण्ड को सड़क ने तिरछा काट दिया है। इस प्रकार भू.सं. 413 का मात्र 90 व0ग0 ही प्रार्थनी के पास रहता है। उपनगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार यदि उसके पास इसी से चिपटा हुआ दूसरा भूखण्ड संख्या 414 नहीं होता तो इस अकेले भूखण्ड संख्या 413 के बचे हुए भाग पर कोई निर्माण योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है।</p> <p>प्रार्थनी को आवंटन हेतु महल योजना में ए एव 'बी ब्लॉक को बाटने वाली 200 फीट रोड पर ए ब्लॉक में 12.5 गुणा 22 मीटर के भूखण्डों की लाइन भूखण्ड संख्या 25 के आगे तिकोनी छूटी हुई भूमि में भूखण्ड संख्या ए-25-ए इसी साइज (12.5 गुणा 22 मीटर ) का नवसृजित उपलब्ध है।</p> <p>आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड महल योजना में होने से वहां की आरक्षित दर 3300/-रूपये प्रति वर्गमीटर है तथा प्रार्थनी के सड़क में आये भूखण्ड जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित होने से वहां की दर 15000/- प्रति वर्गमीटर है।</p> <p>प्रार्थनी को सड़क में गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र का भूखण्ड दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि सड़क में गये भूखण्ड की कीमत एवं आवंटित भूखण्ड की कीमत में आरक्षित दर से लगभग 5 गुना का अन्तर है अर्थात् प्रार्थनी की भूमि कीमती है।</p> <p>भूखण्ड के बदले में ली जाने वाली कीमत के</p>
----	---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नति० आगुक्त (एल.वी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण

			<p>संबंध में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं :-</p> <p>प्रार्थिनी के सडक में गये भूखण्ड से तीन गुणा भूखण्ड प्राप्त करने का तर्क सम्मत तरीके से पात्र होने के कारण सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या ए-25 ए क्षेत्रफल 275 व0ग0 की कीमत आरक्षित दर 3300/- प्रति व.ग. की एक चौथाई दर ही ली जावे ।</p> <p>अथवा</p> <p>प्रार्थिनी की सडक में गई भूमि 110 व0ग0 तक भूमि की कीमत तो जोन 9 की आवासीय आरक्षित दर 3300/- रूपये प्रति व.ग. की एक चौथाई दर से तथा अतिरिक्त बढे हुए क्षेत्रफल की दर जोन की आवासीय आरक्षित दर 3300/- प्रति व0ग0 के हिसाब से ले ली जावे।</p> <p>अतः प्रार्थिनी से राशि लेकर भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन स्तर पर इस रोड से प्रभावित लंबित प्रकरणों व अन्य का सर्वे करवाया जावे तथा समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जावे ताकि समान स्थिति के प्रकरणों में एक नीति से ही समुचित निर्णय लिया जा सके ।</p>
5.	1	45:5	<p>कुमावत क्षेत्रीय समाज विकास समिति को मालवीय नगर, जयपुर में समिति का कार्यालय, जन उपयोगी भवन (धर्मशाला) हेतु भूमि आवंटन हेतु।</p> <p>उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि कुमावत क्षेत्रीय समाज समिति द्वारा मालवीय नगर व आस-पास क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर भूमि की मांग समिति का कार्यालय, जनउपयोगी भवन (धर्मशाला) हेतु चाही गई है।</p> <p>मालवीय संस्थानिक क्षेत्र में भू.सं. 3 जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है जिसके कुछ हिस्से पर खातेदार द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है शेष रिक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 783 वर्ग मीटर है, जो आवंटन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित संस्था को</p>

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
(एल.पी.सी.)

				<p>समिति का कार्यालय एवं जनउपयोगी भवन (धर्मशाला) हेतु योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही नीतिगत शर्तों पर की जावे।</p>																								
6.	9	45:5(1)	<p>गोलेण्ट्री अवार्ड धारको राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्लेयर्स अर्जुन अवार्ड धारको को आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।</p>	<p>प्राधिकरण में गोलेण्ट्री अवार्ड धारको, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्लेयर्स, अर्जुन अवार्ड, स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड आवंटन करने बाबत अनुरोध किया है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में कुल 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है जिनमें से 1 स्वतन्त्रता सेनानी श्री टी.आर.आहूजा को भूखण्ड संख्या बी-84 एवं श्रीमती परमजीत चौधरी को भूखण्ड संख्या बी-74 रामनगरिया विस्तार में प्राधिकरण की एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 15.12.07 के निर्णयानुसार आवंटन कर दिया गया है। वर्तमान में 13 आवेदन पत्र भूखण्ड आवंटन हेतु लम्बित है जिनकी सूची निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क. सं.</th> <th>आवेदक का नाम</th> <th>प्राप्त पदक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ले. कर्नल नन्द दुलारे</td> <td>वीर चक्र</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मेजर ललित शर्मा</td> <td>शौर्य चक्र</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मेजर राजेन्द्र सिंह</td> <td>शौर्य चक्र</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>श्री पूनम कुमार</td> <td>राष्ट्रमण्डल खेल 2001 (निशानेबाजी)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ले.क. हरेन्द्र सिंह</td> <td>शौर्य चक्र</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी सुवेदार स्व. श्री नोपाराम</td> <td>कीर्ति चक्र (मरणोपरान्त)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>श्रीमती कृष्णा पुनियॉ</td> <td>कांस्य पदक एशियाई</td> </tr> </tbody> </table>	क. सं.	आवेदक का नाम	प्राप्त पदक	1	ले. कर्नल नन्द दुलारे	वीर चक्र	2	मेजर ललित शर्मा	शौर्य चक्र	3	मेजर राजेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र	4	श्री पूनम कुमार	राष्ट्रमण्डल खेल 2001 (निशानेबाजी)	5	ले.क. हरेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र	6	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी सुवेदार स्व. श्री नोपाराम	कीर्ति चक्र (मरणोपरान्त)	7	श्रीमती कृष्णा पुनियॉ	कांस्य पदक एशियाई
क. सं.	आवेदक का नाम	प्राप्त पदक																										
1	ले. कर्नल नन्द दुलारे	वीर चक्र																										
2	मेजर ललित शर्मा	शौर्य चक्र																										
3	मेजर राजेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र																										
4	श्री पूनम कुमार	राष्ट्रमण्डल खेल 2001 (निशानेबाजी)																										
5	ले.क. हरेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र																										
6	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी सुवेदार स्व. श्री नोपाराम	कीर्ति चक्र (मरणोपरान्त)																										
7	श्रीमती कृष्णा पुनियॉ	कांस्य पदक एशियाई																										

अति. सहायक (प.पी.सी.)  
 उपर विवरित प्राधिकरणक दायरे

				<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>खेल, दोहा-2006</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>नवनीत गौतम</td> <td>अर्जुन अवार्ड विजेता</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>श्री बी.के. सारडा</td> <td>वीर चक्र</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ना.सू. बट्टी लाल लूणावत</td> <td>कीर्ती चक्र</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>श्री बाबू सिंह</td> <td>शौर्य चक्र</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>हवलदार श्री छोटू सिंह</td> <td>शौर्य चक्र</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>श्रीमती मुकेश पत्नी शहीद भुपेन्द्र सिंह</td> <td>शौर्य चक्र(मरणोपरान्त)</td> </tr> </table> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावनुसार पात्रता की जांच कर आवंटन की कार्यवाही आदेश दिनांक 16.2.08 के अनुरूप राशि पर की जावे। प्रस्तावित भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन किया जावे।</p>			खेल, दोहा-2006	8	नवनीत गौतम	अर्जुन अवार्ड विजेता	9	श्री बी.के. सारडा	वीर चक्र	10	ना.सू. बट्टी लाल लूणावत	कीर्ती चक्र	11	श्री बाबू सिंह	शौर्य चक्र	12	हवलदार श्री छोटू सिंह	शौर्य चक्र	13	श्रीमती मुकेश पत्नी शहीद भुपेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र(मरणोपरान्त)
		खेल, दोहा-2006																							
8	नवनीत गौतम	अर्जुन अवार्ड विजेता																							
9	श्री बी.के. सारडा	वीर चक्र																							
10	ना.सू. बट्टी लाल लूणावत	कीर्ती चक्र																							
11	श्री बाबू सिंह	शौर्य चक्र																							
12	हवलदार श्री छोटू सिंह	शौर्य चक्र																							
13	श्रीमती मुकेश पत्नी शहीद भुपेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र(मरणोपरान्त)																							
7.	7	45:5(2)	<p>श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय को गोविन्दपुरा करधनी योजना मे पुर्नवास के तहत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय द्वारा दुकान संख्या 15 वर्द्धमान नगर, अजमेर रोड पर चिकित्सालय चला रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर रोड को 6 लेन करने हेतु प्रभावित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानों को हटा दिया गया था। अजमेर रोड को 6 लेन किये जाने से प्रभावित दुकान मालिकों एवं किरायदारों को पुनर्वास कर गोविन्दपुरा करधनी डी ब्लॉक के सामने एक शॉपिंग सेन्टर बनाकर पुनर्वासित किया गया था। श्री उपाध्याय श्री अन्य किरायेदारों की तरह दुकान आवंटन की मांग कर रहे हैं।</p> <p>इस संबंध में पूर्व में एल.पी.सी. की 34 वीं बैठक दिनांक 28.11.2006 एवं 37 वीं बैठक दिनांक 25.4.2007 में प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रस्तुत किया गया था। एल.पी.सी. की 37 वीं बैठक दिनांक 25.4.2007 में निर्णयानुसार निर्णय लिया गया</p>																					

जति० क्रांति (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

“अतः विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लल्लूलाल को आवंटित 5 दुकानों में से एक दुकान संख्या 12 को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा उसकी लीज डीड न्यायालय से निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा उसकी लीज डीड न्यायालय से निरस्त करायी जावे। राज्य सरकार को जेडीए द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक उपा.8/डी-264 दिनांक 1.03.04 के क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति पत्र क्रमांक प-6(2)नवि/03/04 दिनांक 12.04.04 के क्रम में उक्त दुकान संख्या 12 के न्यायालय से निरस्त हाने के पश्चात् ही प्रार्थी श्री अखिलेश उपाध्याय को किरायेदार की हैसियत के क्रम में पात्रता अनुसार दुकान का आवंटन किया जा सकेगा।”

उक्त निर्णय की पालना में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2007/डी- 2906 दिनांक 12.6.2007 द्वारा उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को एल.पी.सी के निर्णय की छायाप्रति संलग्न करते हुए दुकान संख्या 12 को निरस्त किये जाने की कार्यवाही एवं लीजडीड न्यायालय से निरस्त कराये जाने की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-6(2)नवि/3/04 दिनांक 26.10.2007 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार दुकान संख्या 12 को निरस्त कर एल.पी.सी. के निर्णय दिनांक 25.4.2007 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2007/डी-15061 दिनांक 6.12.2007 द्वारा श्री लल्लू लाल यादव पुत्र श्री सूजाराम को आवंटित दुकान संख्या 12 का आवंटन निरस्त कर दिया गया था।

उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी श्री लल्लू लाल द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा जयपुर में एक अपील संख्या 343/2007 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.

तति० क्राडुला (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



2007 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :-“ प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम अधिकारी के पास उनके निर्णय के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन का जवाब मय शपथ-पत्र व साक्ष्य के पेश करे तथा यदि कर दिया हो तो कोई मजिद जवाब या साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो करें व तत्पश्चात सक्षम अधिकारी उनको सुनकर उचित निर्णय लेवे तथा यदि इस निर्णय से अपीलार्थी संतुष्ट न हो तो पुनः उसकी अपील करने का अधिकारी होगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी दिनांक 27.1.2008 को उपस्थित होवे तथा जवाब प्रस्तुत होने के यथा संभव तीन माह में सक्षम अधिकारी उनके जवाब/प्रतिवेदन का निस्तारण विधिनुसार करें तब तक भूखण्ड संख्या 12 गोविन्दपुरा, करघनी योजना अपीलार्थी के अलावा अन्य किसी को न तो आवंटित करे, न उसमें कब्जा करे। तदनुसार यह अपील रिमाण्ड की जाकर निर्णित की जाती है।”

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी श्री लल्लू लाल की सुनवाई की गई एवं दिनांक 8.2.2008 को बयान लिये गये। सुनवाई में श्री लल्लू लाल द्वारा यह अवगत कराया गया कि “मेरे को खुदाबादी सोनार कॉ-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की ओर से चार दुकान आवंटित हुई थी। इन चार दुकानों की साईज 12 x 30' फीट प्रति दुकान थी और इस कारण से मौके पर पांच दुकाने बनाई गई थी। श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय दुकान संख्या 15 में किरायेदार था।

जो मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। उसमें 4 दुकाने अंकित हैं। परन्तु श्री कृष्णा बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर्स की जो दुकान 20' x 25' साईज की थी। उन्हें धारा 72 तथा 32 के तीन नोटिस ही जारी हुए थे। परन्तु श्री कृष्णा बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर्स के नाम से जो नोटिस जारी हुआ था, उसमें दुकान का नाप 20' x 25' का दिखा रखा है। शेष दोनों दुकानों का नाप क्रमश 10' x 30'

अति. जा. (अ. वि. वि.)  
जमपुर विकास आयोग

				<p>एवं 10' x 25' दिखा रखा है। हमारी पांचों दुकानों में से एक दुकान में श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय किरायेदार थे फिर भी हमें चार दुकानों के बदले में पांच दुकान इसलिये दी गई थी क्योंकि दुकान मालिकों को मौके के अनुसार जगह के बदले जगह की नीति के तहत पांच आवंटित की गई थी तथा किरायेदारों को अलग से आवंटित की गई थी। इसकी पुष्टि अलग से करवाई जा सकती है। हमें दी गई दुकान को निरस्त नहीं की जावे।” बयानों की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।</p> <p>श्री लल्लू लाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को जांच हेतु जोन-8 में भिजवाया गया। जिस पर जांच अपेक्षित है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावनुसार उपलब्ध वैकल्पिक दुकान का आवंटन किये जाने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव भिजवाया जावे।</p>
8.	9	45:5(3)	<p>अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभ) महासंघ, जयपुर को छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान हेतु भूमि आवंटन बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभ महासंघ द्वारा छात्रावास हेतु 4000 वर्ग गज भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम चकगेटोर के खसरा नम्बर 99 मिन रकबा 4.19 हेक्टेयर जिसकी किस्म गैर मुमकीन नाला है खसरा नम्बर 100/0.27 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम, 101/0.25 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम, जो जविप्रा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 99 रकबा 4.19 हैक्टेयर गैर मुमकीन नाला को छोडकर प्रस्तावित भूमि के ए ब्लॉक में जिसका क्षेत्रफल 1262.22 वर्ग गज तथा बी ब्लॉक का क्षेत्रफल 1915.96 वर्ग गज कुल 3178.18 वर्ग गज अर्थात (2657.34 वर्ग मीटर) है।</p> <p>महल योजना के सी.डी. ब्लॉक में संस्थानिक आरक्षित क्षेत्र में 7200 वर्ग मीटर भूमि रिक्त है।</p> <p>रिक्त भूमि आदर्श प्रताप शिक्षा समिति को प्रस्तावित</p>

समिति • आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			की गई थी परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय लिया जाकर आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है। जोन की वर्तमान आरक्षित दर 3300/- रू. प्रति वर्ग मीटर आवासीय, 4125/-रू. प्रति वर्ग मीटर संस्थानिक एवं 6600/- रू. प्रति वर्ग मीटर व्यावसायिक है। अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभ द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है। ग्राम चकगेटोर के खसरा नम्बर 99 को छोड़ते हुये ए एवं बी ब्लॉक की भूमि को शामिल करने के पश्चात 2657.34 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है एवं महल योजना में सी डी ब्लॉक में संस्थानिक क्षेत्र में 7200 वर्ग मीटर भी रिक्त है। अतः दोनो स्थानों में से एक जगह संस्था को भूमि आवंटन के क्षेत्रफल का निर्धारण किये जाने के निर्णय एवं आरक्षित दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार को प्रकरण निर्णय बाबत भिजवाये जाने हेतु प्रकरण एल.पी.सी. में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।  समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार 4000 वर्गगज भूमि का नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही नीतिगत शर्तों पर की जावे।
9.	9	45:5(4)	रिसर्च डवलपमेंट एसोशियेशन जयपुर को 2500 वर्गगज भूमि आवंटित करने बाबत।  उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि रिसर्च डवलपमेंट एसोशियेशन जयपुर द्वारा शिक्षण संस्थान हेतु 2500 वर्ग गज भूमि आवंटन के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम चकगेटोर के खसरा नम्बर 99 मिन रकबा 4.19 हेक्टेयर जिसकी किस्म गैर मुमकीन नाला है खसरा नम्बर 100/0.27 हैक्टेयर किस्म जावा प्रथम, 101/0.25 हैक्टेयर किस्म जावा प्रथम, जो जविप्रा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 99 रकबा 4.19 हैक्टेयर गैर मुमकीन क्षेत्रफल नाला को छोड़कर प्रस्तावित भूमि के ए ब्लॉक में जिसका क्षेत्रफल 1262.22 वर्ग गज तथा बी ब्लॉक का क्षेत्रफल 1915.96 वर्ग गज कुल 3178.18 वर्ग गज अर्थात (2657.34 वर्ग मीटर) है।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>महल योजना के सी.डी. ब्लॉक में संस्थानिक आरक्षित क्षेत्र में 7200 वर्ग मीटर भूमि रिक्त है। रिक्त भूमि आदर्श प्रताप शिक्षा समिति को प्रस्तावित की गई थी परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय लिया जाकर आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है। जोन की वर्तमान आरक्षित दर 3300/- रू. प्रति वर्ग मीटर आवासीय, 4125/-रू. प्रति वर्ग मीटर संस्थानिक एवं 6600/- रू. प्रति वर्ग मीटर व्यावसायिक है। ग्राम चकगेटोर के खसरा नम्बर 99 को छोड़ते हुये ए एवं बी ब्लॉक की भूमि को शामिल करने के पश्चात 2657.34 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है एवं महल योजना में सी डी ब्लॉक में संस्थानिक क्षेत्र में 7200 वर्ग मीटर भी रिक्त है। अतः दोनो स्थानो मे से एक जगह अखिल भारतीय प्रजापति कुंभ महासंघ को भूमि आवंटन के पश्चात शेष एक स्थान पर 2500 वर्ग गज भूमि उक्त संस्था को आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार 2100 वर्गमीटर भूमि के नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही बाद पात्रता की जांच नीतिगत शर्तो पर की जावे।</p>
10.	12	45:5(5)	<p>भूखण्ड सं. ए-23 स्वप्न लोक योजना क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर कॉर्नर भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री मुकेश कुमार अग्रवाल को भूखण्ड ए-23 स्वप्न लोक 120 वर्गमीटर लॉटरी के माध्यम से कॉर्नर भूखण्ड सहवन से आवंटन हो गया, कॉर्नर भूखण्ड सिर्फ निलामी से बेचान किये जाते है। जिसे निरस्त किया जा चुका है। भूखण्ड सं. बी-44 स्वप्न लोक क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर जो कि निरस्त हो जाने से रिक्त है। प्रार्थी को भूखण्ड सं. ए-23 के स्थान पर भू.सं. बी-44 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर स्वप्न लोक का आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p>

शक्ति कौशिक (एल.पी.सी.)  
 डायरेक्टर विकास प्राधिकरण, उपनगर

11.	12	45:5(6)	<p>विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर के लिए ग्राम कानोता तहसील बस्सी में ख.न. 624 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा में से 16185 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जयपुर के लिए जयपुर में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में संलग्न पत्रानुसार अतिरिक्त आयुक्त, निःशक्तजन राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 2449 दिनांक 20.6.03 एवं आयुक्त श्रम एवं रोजगार के पत्र क्रमांक प.1 (32) वीआरसी/भवन/सा/96/12965 दिनांक 29.8.03 के द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु पत्र की प्रति संलग्न की है। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जयपुर के लिए ग्राम कानोता तहसील बस्सी में ख.नं. 624 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा में से 16185 वर्ग मीटर भूमि आवंटन/आरक्षण हेतु प्रस्तावित है। प्रकरण एल.पी.सी. के समक्ष संस्था को आवंटन किये जाने योग्य भूमि व दर के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भूमि नियमानुसार आरक्षित किये जाने की कार्यवाही नीतिगत शर्तों पर की जावे।</p>
12.	10	45:5(7)	<p>अजमेर रोड की मुख्य सड़क पर ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 95/1 की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि से हटाये गये अतिक्रमण के कारण विस्थापित श्री गणेश कामथ को प्राधिकरण की योजना पालड़ी मीणा में निर्मित आवास का आवंटन करने बाबत।</p>	<p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अजमेर रोड की मुख्य सड़क पर ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 95/1 की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि से हटाये गये अतिक्रमण के कारण विस्थापित श्री गणेश कामथ को प्राधिकरण की योजना पालड़ी मीणा में निर्मित आवास गृह संख्या एफ-56 की नियमानुसार राशि वसूल की जाकर एल.पी.सी. की 41वीं बैठक दिनांक 31.8.07 में आवंटन का निर्णय लिया गया है। प्रार्थी अब आवास गृह का आवंटन निःशुल्क चाहता है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रार्थी की आर्थिक स्थिति व पुनर्वास नीति के तहत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार कच्ची बस्तियों हेतु निर्धारित रियायती दर पर आवंटन किये</p>

				जाने की कार्यवाही की जावे।
13.	10	45:5(8)	महिमा शिक्षा समिति को भूमि आवंटन बाबत।	<p>उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि महिमा शिक्षा समिति को प्राधिकरण की एल.पी.सी. की 29 वी बैठक दिनांक 17.04.06 में लिये गये निर्णयानुसार ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में खसरा नं. 145, 146, 147 मि., 155, 156, 165 से 169, 174, 175, 177, 180, 182, 146/742, 146/745, 146/750 कुल रकबा 12.17 है, भूमि का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त आवंटित भूमि में से खसरा नम्बर 146 व 180 रकबा 2.63 है, भूमि की किस्म गै.मु. नदी दर्ज होने के कारण एल.पी.सी. की 39 वी. बैठक दिनांक 26.09.07 में 2.63 है। भूमि का आवंटन निरस्त कर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। जिसकी एवज में संस्था द्वारा 2.63 है। भूमि आवंटन की माँग की गई है। ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 362, 363, 364, 426, 427 कुल रकबा 6.01 है। में से 2.63 है। भूमि आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भूमि नियमानुसार आरक्षित किये जाने की कार्यवाही नीतिगत शर्तों पर की जावे।</p>
14.	1	45:5(9)	श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा की भूमि खसरा नम्बर-111/194 रकबा 2 बिस्वा, ग्राम मानपुरदेवरी, तहसील जयपुर के एवज में अन्यत्र भूमि दिये जाने के संबंध में।	<p>उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी संवत 2056 से 59 तक में खसरा नम्बर 111/194 रकबा 0/2 बिस्वा भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिशचन्द्र कौम महाजन साकीन देह, भूमि वर्गीकरण मै.मु.आबादी दर्ज है इसके पूर्व की जमाबंदी संवत 2015-34 में 111/194 में सेठ हरिशचन्द्र बल्द सोहनलाल कौम महाजन (गोलछा ओसवाल) सा0 देह का नाम अंकित है इसका भूमि वर्गीकरण भी गैर मु. आबादी दर्ज है। वर्ष 1966 में जरिये नामान्तकरण श्री हरिशचन्द्र की जगह श्री सुरेन्द्र कुमार का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त</p>

समिति 0 जयपुर (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भूमि का वर्गिकरण गै.मु.आबादी के रूप में ही दर्ज चला आ रहा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कभी भी इस भूमि को औपचारिक रूप से कब्जे में नहीं लिया गया परन्तु राजस्थान प्रशासनिक सेवा संघ को दिनांक 14.06.91 को आवंटित की गई थी।

इस प्रकार खातेदार द्वारा जेडीए के पक्ष में किसी प्रकार का बेचान/समर्पण/या अन्य कोई स्वामित्व हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है। ना ही जेडीए के स्तर पर भूमि अवाप्ति संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार स्वामित्व हस्तान्तरण के किसी भी वैध दस्तावेज के अभाव में जेडीए के पक्ष में नामान्तरण खुलवाया जाना संभव नहीं है। एलपीसी बैठक में यदि प्रार्थी को अन्यत्र भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा निर्णय सशर्त लिया जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा भूमि विधिवत रूप से जेडीए के पक्ष में समर्पित/हस्तान्तरित की जायेगी ताकि इसके आधार पर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज 02 बिस्वा भूमि का नामान्तरण जेडीए के नाम खुलवाया जा सके।

समिति के समक्ष उपरोक्त जानकारी के साथ प्रकरण निम्न बिन्दुओं पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है :-

यदि पूर्व एलपीसी के निर्णय अनुसार प्रार्थी को समान क्षेत्रफल का भूखण्ड दिया जाना है, तो रामनगरिया योजना में आवंटित किया जा सकता है। इसकी पुष्टि समिति द्वारा की जानी है।

1. प्रार्थी की मांग के अनुसार भूमि की वर्तमान कीमत के बराबर राशि का भूखण्ड दिया जाना है या नहीं, यह नीतिगत निर्णय समिति द्वारा किया जाना है।
2. यदि समिति वर्तमान कीमत के बराबर राशि

पट्टी नगरपालिका (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				<p>के भूखण्ड देने के बारे में निर्णय करती है तो रामनगरिया योजना में दिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की जानी है।</p> <p>3. भूमि के आवंटन से पूर्व प्रार्थी से उच्च माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद 6676/99 वापिस किये जाने की शर्त डाली जानी प्रस्तावित है।</p> <p>4. भूमि के आवंटन से पूर्व प्रार्थी के खसरा नम्बर 111/194 रकबा 2 बिस्वा भूमि प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करनी होगी ताकि यह भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज की जा सके।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावनुसार सशर्त प्रार्थी को जोन-1 में समान स्थिति का भूखण्ड नियमानुसार आवंटित करने की कार्यवाही की जावे।</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एल.पी.सी. के पूर्व निर्णयों के क्रम में पुनः निर्देशित किया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा भू-आवंटन के संबंध में नीतिगत शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरणवार वस्तुस्थिति व पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जावे।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3(55)नवि/3/07 दिनांक 17.12.07 की पालना सुनिश्चित की जावे।

आगामी बैठक में उपायुक्तगण पूर्व में लिए गये निर्णयों के क्रम में क्रियान्विती रिपोर्ट की वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)  
 प्रति० आनुक्त एव  
 अतिरिक्त आधिकारिक (एल.पी.सी.)  
 जयपुर



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, जविप्रा, जयपुर
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं विधायक (जौहरी बाजार), जयपुर।
- 3- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 4- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
- 5- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
- 6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
- 7- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
- 8- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
- 9- प्रो० बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
- 11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर
- 15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 20- निदेशक(वित्त/अभि०/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
- 21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
- 22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
- 23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

### उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 45वीं बैठक दिनांक 24.03.08 में उपस्थित रहे। जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री राम निवास मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
4.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6.	श्री बी०के० दोसी, अति. आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री महेन्द्र सोनी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
9.	श्री एच. एस. भारद्वाज अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
10.	श्री डी.आर. सैनी, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमन्त्रित
11.	श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमन्त्रित
13.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन 11	विशेष आमन्त्रित
14.	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमन्त्रित
15.	श्री अरूण जोशी, पी.आर.ओ.	विशेष आमन्त्रित

नि० आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर